न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 5/2025
किस्म :– अपील
दायर दिनांक : 23.05.2025
निर्णय दिनांक: 26.02.2026

अनवान

1. मोहन पिता मगनीराम जाति कुमावत, निवासी राईथलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जुणदा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जुणदा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. कमला पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. गीता पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. चम्पालाल पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. जमना पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
6. तुलसीराम पिता सवाईराम जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
7. बद्रीलाल पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
8. बदाम पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
9. भगवानलाल पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा
10. मागुं पिता सवाईराम जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
11. शंकरबाई पत्नी मांगीलाल जाति कुमावत निवासी गणेशपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
12. सोसरबाई पत्नी लहरूलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
13. हीरालाल पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

रेस्पोडेटगण

अपील विरूद्व नामान्तरकरण ग्राम पंचायत जुणदा द्वारा दिनांक 06.08.2002 से नामान्तरकरण संख्या 1177 को फेसल किया जिसके विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

वादी अधिवक्ता– मदनलाल सालवी
प्रतिवादी अधिवक्ता– अनुपस्थित

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जुणदा पटवार हल्का जुणदा तहसील रेलमगरा में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 12 के नाम पर भूमियां

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

स्थित है जिसके खाता संख्या नया 776 पुराना 57 रकबा 7.3734 हैक्टेयर है। अपील की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों को अपीलाण्ट ने दिनांक 16.04.2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रेता केशु पिता कालु जाति कुमावत निवासी बामनिया कला तहसील रेलमगरा से क्रय की गई क्रय की दिनांक से अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्टगण उक्त हिस्से अनुसार काबिज होकर स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। तत्कालीन सरपंच द्वारा विक्रय पत्र की जाच किये बिना अपीलाण्ट के गाव राईथलियास के स्थान पर सहवन से गांव बामनिया कला अंकित कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से निर्णित हो जाने से जमाबंदी में भी अपीलाण्ट का निवासी राईथलियास के बजाय सा. देह खातेदार दर्ज हो गया। जिससे उक्त त्रुटिपुर्ण नामान्तरकरण को निरस्त/खारिज किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हो गया है। यह कि अपीलाण्ट ने दिनांक 14.05.2025 को उक्त भूमियों की जमाबंदी की नकल निकलवाई तब ज्ञात हुआ की अपील की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में अपीलाण्ट का निवास के स्थान पर सा. देह खातेदार का अंकन है उसी रोज दिनांक 14.05.2025 को नकल प्राप्त करते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है, फिर भी संभावित आपत्ति के निराकरण हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ संलग्न है। यह कि उक्त त्रुटिपुर्ण नामान्तरकरण संख्या 1177 ग्राम पंचायत जुणदा तहसील रेलमगरा द्वारा निर्णित किया गया, जिससे उक्त अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत जुणदा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 1177 को निरस्त/खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें तथा पुनः जांच कर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेटगण संख्या 01 अनुपस्थित। रेस्पोडेटगण संख्या 02 से 13 के विरूद्व अपीलांट कोई सहायता नही चाहते है।

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विक्रय पत्र के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार जाकर मोजा बामनिया कला की नामान्तकरण संख्या 1177 दिनांक 06.08.2002 के निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र के अनुसार पक्षकारान का सुन नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जावे। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा